संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–दै. भास्कर–पृष्ठ 04 दिनांक 19/01/2021

स्वच्छ अभियान : 25 सफाई कर्मचारी बिना सूचना के गैरहाजिर, जवाब मांगा

सफाई में नंबर वन बनाने के प्रयासों में लगातार दिख रही लापरवाही

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अफसर शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने में जुटे हैं। वहीं कार्रवाई के बावजूद सफाई कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। सुबह भी बुधवार को चार जोन में 25 सफाई कर्मचारी बिना अनुमति गैरहाजिर मिले। वार्ड दरोगाओं की सूचना पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें एक दिन का वेतन काटने, अस्थाई को बर्खास्त व स्थायी कर्मियों के निलंबन पर जवाब मांगा जाएगा।

8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन- उधर गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वाले 8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन लगाया। इनमें पॉलीथिन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500 रुपए, परीणित जैन धानमंडी पर 1500 रुपए, हरीश अग्रवाल शहर सराय 500 रुपए, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई नौलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया।

वार्ड 1 व 29 भी जीरो वेस्ट, अब तक बन चुके 14 वार्ड

वार्ड 1 में घर-घर से कचरा इकट्ठा करती रैग पिकर्स महिलाएं।

कचरा के वार्ड में ही निपटान करते हुए निगम ने वार्ड 1 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बना दिया। इनके सहित अब तक शहर के 14 वार्ड जीरो वेस्ट बन चुके हैं। इनमें 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 41 व 44 हैं। इनमें स्व सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से घर-घर से गीला व सूखा-कचरा अलग-अलग इकट्ठा करवाया जा रहा है। गीले कचरे को ट्रेंचिंग ग्राउंड, जबकि सूखे कचरे को कबाड़ी को बेचकर महिलाएं आजीविका चला रही है। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को निगम द्वारा एप्रिन, ग्लब्स व मास्क आदि सुरक्षा साधन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–प्रसारण ––पृष्ठ ..10.. दिनांक..19/03/..2021

वार्ड क्रमांक 1 व 29 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

- नगर के 14 वार्ड बने जीरो वेस्ट वार्ड - जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मिल रहा भरपूर सहयोग

प्रसारण न्यूज * रतलाम

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाए जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है, यहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 18 मार्च गुरूवार से वार्ड क्रमांक 01 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 41 व 44 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पहुंचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिए निगम द्वारा एप्रीन, ग्लब्स, मास्क आदि उपलब्ध कराए गए है। इन्हें वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन, इसलिए 50 माईक्रोन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है, इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है, सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाए।

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाईन

शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500, परीणित जैन धानमण्डी पर 1500, हरीश अग्रवाल शहर सराय पर 500, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई जौलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट रिसास पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत लड्डे, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहता के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किए जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

प्रसारण

मास्क जीवन बचाने का साधन है –विधायक काश्यप

* ग्रामीणजन शहर आएं तो बिना मास्क के न निकलें
* कलेक्टर श्री डाड ने जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्देश दिए

दैनिक अवन्तिका ›› रतलाम।

जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डॉ. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक श्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अतः विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए।

कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था में पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।

आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बड़ौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगड़ती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए। खुदाई करवाने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई जाए ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिले तथा किसी प्रकार की परेशानी न हो।

एसडीएम जावरा श्री धोटे ने बताया कि जावरा में चहल्लुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री डाड ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका-मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर महेन्द्र गादिया, गोविन्द काकानी, झमक भरगट, मनोज झालानी, डा. गौरव बोरीवाल, डा. प्रमोद प्रजापति, सुरेन्द्र चत्तर, सुरेन्द्र सुरेका, संजय पारख, अमित अग्रवाल, आशीष पालीवाल, राजेश दरख, जगदीश मंत्री, अजय भण्डारी, राजेश जैन आदि उपस्थित रहे। अवन्तिका

अभियान

निगम ने वार्ड 1 व 29 को भी बनाया जीरो वेस्ट वार्ड

शहर के 14 वार्ड बने जीरो वेस्ट वार्ड

रतलाम. स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत नगर निगम ने शहर के 14 वार्ड को जीरो वेस्ट बना दिया है। गुरुवार को वार्ड नंबर 1 व 29 भी शामिल कर लिए गए।

शहर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के अंतर्गत वार्ड 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया है। वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे को समाप्त भी किया। गुरुवार से वार्ड 1 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य शुरू किया है। वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आईईसी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग लिया।

नगर के 14 वार्ड बने जीरो वेस्ट वार्ड

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत 18 मार्च गुरुवार से वार्ड क्रमांक 01 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। २१७

निर्देश : नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें

रतलाम। नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजय सिंह ने यह बात जिले के अधिकारियों के स्थानीय निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में कही। प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ।

श्री सिंह ने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक आवंटन के संबंध में सभी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा चाही गयी जानकारी तुरन्त उपलब्ध करवायें। श्री सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण बार-बार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो बातें आज बतायी जा रही हैं, उन्हें ध्यान से सुनें। पूरी प्रक्रिया में कोविड-19 की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन हो।

प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स डॉ. समीरा नईम और अजय काले ने निर्वाचन की घोषणा के बाद की जाने वाली कार्यवाही और आदर्श आचरण संहिता के बारे में बताया। दीपक पाण्डे ने नाम निर्देशन-पत्रों की प्रस्तुति, संवीक्षा, और प्रतीक आवंटन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आई.ई.एम.एस. सहित निर्वाचन संबंधी अन्य आई.टी.टूल्स और एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी गयी। इस दौरान उप सचिव अरूण परमार एवं अन्य

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की करें तैयारी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में होने वाले चुनावों को लेकर गुरुवार को चुनाव से जुड़ा स्थानीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। इसमें सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजय सिंह ने अधिकारियों से कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें। उन्होने कहा कि नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक आवंटन के संबंध में सभी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा चाही गयी जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाए। प्रशिक्षण बार-बार नहीं होगा। अतः जो बातें आज बतायी जा रही हैं, उन्हें ध्यान से सुनें। पूरी प्रक्रिया में कोविड-19 की गाइड लाइन का शत-प्रतिशत पालन हो।

प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स डॉ. समीरा नईम और अजय काले ने निर्वाचन की घोषणा के बाद की जाने वाली कार्यवाही और आदर्श आचरण संहिता के बारे में बताया। दीपक पाण्डे ने नाम निर्देशन-पत्रों की प्रस्तुति, संवीक्षा, और प्रतीक आवंटन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। प्रशिक्षण में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आई.ई.एम.एस. सहित निर्वाचन संबंधी अन्य आई.टी.टूल्स और एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी गयी। इस दौरान उप सचिव अरुण परमार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की तैयारी एक साथ करें। यह निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग सचिव दुर्ग विजय सिंह ने जिला अधिकारियों के स्थानीय निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण में दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए प्रशिक्षण में आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाने को कहा। कोविड-19 की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन हो। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स डॉ. समीरा नईम व अजय काले ने निर्वाचन की घोषणा के बाद की जाने वाली कार्रवाई व आदर्श आचरण संहिता के बारे में बताया। दीपक पांडे ने नाम निर्देशन-पत्रों की प्रस्तुति, संवीक्षा, और प्रतीक आवंटन प्रक्रिया की जानकारी दी। उप सचिव अरुण परमार उपस्थित रहे।

आठ लोगों पर किया स्पॉट फाइन

रतलाम। नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500, परीणित जैन धानमण्डी पर 1500, हरीश अग्रवाल शहर सराय पर 500, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई नीलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलीथीन जप्त की गई। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहता के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर अभियान निरंतर जारी रहेगा।

राज

8 व्यक्तियों पर स्पॉट फाइन

रतलाम ● नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500, परीणित जैन धानमण्डी पर 1500, हरीश अग्रवाल शहर सराय पर 500, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई नीलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलीथीन जप्त की गई।

स्वदेश

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर पृष्ठ 18 दिनांक 19/03/2021

लापरवाही का नतीजा • शादी में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाने के लिए लेना होगी प्रशासन से अनुमति, अब उठावना भी चलित रूप में करना होगा

फरवरी के मुकाबले 236% बढ़ा संक्रमण, अब बिना मास्क मिलने पर भेजेंगे ओपन जेल, निगेटिव रिपोर्ट के बाद छोड़ेंगे

• सभी दुकानदारों को बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी बनाना होगी

भास्कर संवाददाता | रतलाम

हमारे जिले में लापरवाही का बड़ा परिणाम सामने आ रहा है। फरवरी के मुकाबले 236% संक्रमण बढ़ गया है। रफ्तार ऐसी है कि अब इसके अचानक कम होने के आसार भी नहीं हैं। अब बिना मास्क के घरों से ना निकलें, यदि पकड़े गए तो आपको ओपन जेल में भेजा जाएगा। संबंधित को तब ही छोड़ा जाएगा जब उसकी कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव मिल जाए। दुकानदार मास्क का पालन नहीं करता पाया गया तो दुकान 24 से 48 घंटे के लिए बंद की जाएगी।

जिले में गुरुवार को संकट प्रबंधन की समूह की बैठक में ये फैसले हुए हैं। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने बताया कि यदि कोई मास्क नहीं लगाता है तो ओपन जेल में बंद किया जाएगा, जेल में रखे गए लोगों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन करवाना ही होगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी। रेलवे स्टेशन पर खास कर वडोदरा व मुंबई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जाएगी। कलेक्टर ने एक दिन में करीब 600 लोगों की सैंपलिंग कराने का कहा है। जिन लोगों की जांच होगी, वे रिपोर्ट आने तक होम आइसोलेशन में रहेंगे।

एक्टिव केस ने फिर बढ़ाई चिंता : इस समय सबसे बड़ी चिंता एक्टिव केस बढ़ने की है। वर्तमान में कोरोना एक्टिव केस 222 हो चुके हैं और अब मेडिकल में बेड फुल होने लगे हैं।

दुकानदार ने की लापरवाही तो 24 से लेकर 48 घंटे के लिए करेंगे बंद

एक सप्ताह में इस तरह बढ़े पॉजिटिव

बैठक में ये फैसले भी हुए

- महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर स्क्रीनिंग की जाएगी।
- होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से ज्यादा लोग होने पर पूर्वानुमति लेना होगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा, अनुकूल स्थिति होने पर ही अनुमति देंगे।
- उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रूप में किया जा सकेगा, जिसमें लोग पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिन तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जिले में एक सप्ताह में तेजी से बढ़ा संक्रमण- मार्च में कोरोना पॉजिटिव निकलने की रफ्तार बढ़ गई है। खास तौर से दूसरे हफ्ते में तेजी से संक्रमित सामने आ रहे हैं। गत एक सप्ताह में 183 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में यह स्थिति नवंबर 2020 के बाद बनी है। नवंबर में संक्रमित बहुत तेजी से बढ़े थे और इस महीने में 1017 पॉजिटिव सामने आए थे। यह आंकड़ा संपूर्ण कोरोना काल का सर्वाधिक है और लोगों के लिए सबक भी।

संस्थानों व एटीएम में लापरवाही पड़ रही भारी- लंबे समय से सैनिटाइजेशन की आदत लोगों की छूट गई है। वहीं संस्थानों में भी अब सैनिटाइजर गायब होने लगे हैं। शुरुआत में एटीएम में सैनिटाइजर रखे गए थे लेकिन बाद में बैंक प्रबंधन इनका मेंटेनेंस नहीं कर पाया और यहां भी लापरवाही देखी जा सकती है। दूसरी ओर दुकानों पर भी मास्क का पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में गुरुवार को प्रशासन ने रिवाइज गाइडलाइन जारी कर सख्ती शुरू की है।

इस तरह बढ़ा संक्रमण... फरवरी में मिले थे 69 मरीज, अब 232 मिले- जिले में मार्च में संक्रमण ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। फरवरी के 18 दिन में 69 मरीज सामने आए थे, जबकि मार्च में 232 मरीज मिल गए हैं। इस माने से संक्रमण 236 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इधर, एक्टिव केस के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। जिले में 20 से 25 एक्टिव केस रह गए थे, जो अब 200 के पार हो रहे हैं। भास्कर

कोरोना विस्फोट : 39 नए पॉजिटिव सामने आए

रतलाम | जिले में गुरुवार को कोरोना का बम फूटा है। एक साथ 39 नए पॉजिटिव सामने आए। इधर, एक्टिव केस की संख्या भी 222 हो गई।

गुरुवार को अंबिका नगर, बीआईपी नगर, ओल्ड रेलवे कॉलोनी, सुयोग परिसर, लक्ष्मी नगर, टाटा नगर, इंद्रलोक नगर, कोठारी वास, प्रताप नगर, रामगढ़, कस्तूरबा नगर, अनमोल नगर, न्यू काजीपुरा, ब्राह्मणों की गली, मनीष नगर, कलीमी नगर, इंदिरा कॉलोनी, राजस्व कॉलोनी, शिवपुर हाउस कंपाउंड पीएनटी कॉलोनी, वरदान नगर, इंदिरा नगर, शक्तिनगर, शहर सराय, ग्राम लसूड़िया खेड़ी, लसूड़िया सूरजमल, ग्राम चौराना जावरा का बड़ा मालीपुरा, सुगनश्री कॉलोनी, मेवाती पुरा कोठी बाजार, ग्राम पाता खेड़ी में संक्रमित सामने आए हैं।

निगम आयुक्त झारिया ने बैठक में दिए निर्देश

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाए जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहित व हैण्डल रहित पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है, इस हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिस्पोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने-पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिए करें, इस हेतु प्रेरित किया जाए।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाए जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए।

प्रसारण

पॉलीथिन व डिस्पोजल आईटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम। गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देषित किया।निगम आयुक्त ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये। २१७

अब दुकान के बाहर रस्सी लगाकर सोश्यल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा

मास्क न लगाए जाने पर रखेंगे ओपन जेल में, आरटीपीसीआर की जांच भी होगी

रतलाम । जिले में कोरोना वायरस के बढते संक्रमण से चेतन्य काश्यप, कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत मीनाक्षीसिंह, एडीएम जमुना भिड़े, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डा. शशि गांधी, सीएमएचओ डॉ.

▸ संकट प्रवधन समूह की बैठक में कलेक्टर ने कहा

प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डॉ. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सैम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए।

कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र

से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्कीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था में पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोडा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बडौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्कीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगडती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए। खुदाई करवाने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई जाए ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिले तथा किसी प्रकार की परेशानी न हो।

एसडीएम जावरा श्री धोटे ने बताया कि जावरा में हुसैन टेकरी क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री डाड ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एसडीएम को निर्देशित किया कि मौका-मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर महेन्द्र गादिया, गोविन्द काकानी, झमक भरगट, मनोज झालानी, डॉ. गौरव बोरीवाल, डा. प्रमोद प्रजापति, सुरेन्द्र चत्तर, सुरेन्द्र सुरेका, संजय पारख, अमित अग्रवाल, आशीष पालीवाल, राजेश दरख, जगदीश मंत्री, अजय भण्डारी, राजेश जैन आदि उपस्थित रहे।

दूसरे दिन आधे शहर में नहीं बंटा पानी, आज शेड्यूल से जलप्रदाय

मास्कर संवाददाता | रतलाम

बिजली लाइन बंद रहने के कारण गड़बड़ाई जलप्रदाय व्यवस्था के चलते लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी आधे शहर में पानी नहीं बंट पाया। वजह, सप्लाई को शेड्यूल में लाने के लिए नगर निगम द्वारा लिया गया ब्रेकडाउन रहा। इसका असर यह होगा कि शुक्रवार से सभी टंकियों से शेड्यूल के अनुसार पानी बंटने लगेगा। मंगलवार को खेतलपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में 33 केवी उच्च-दबाव का विद्युत कनेक्शन करने के कारण बिजली कंपनी ने धोलावड़ डेम की सप्लाई बंद कर दी थी। लगभग 9.30 घंटे तक इंटकवेल और फिल्टर प्लांट के पंप बंद रहने के कारण टंकियां नहीं भर पाई थीं। इससे बुधवार को चार टंकी और गुरुवार शहर के पांच प्रमुख टंकियों से सप्लाई नहीं हो पाया। जलप्रदाय इंजीनियर सत्यप्रकाश आचार्य ने बताया ब्रेकडाउन में 19 मार्च से गोशाला, पोलोग्राउंड, गंगासागर, महावीर नगर, काटजू नगर, ग्लोबस, राजीव नगर, गांधी नगर सहित अन्य टंकी से भी पानी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार सुबह 6 से 10 बजे के बीच दिया जाएगा। कुछ बाहरी इलाकों में जहां पहले से किल्लत है। वहां टैंकरों से सप्लाई कर रहे हैं।

शहर में खुदाई से पहले नगर निगम अधिकारी इजाजत लें

शहर विधायक ने ट्रैफिक व्यवस्था पर जताई चिंता

रतलाम | विधायक काश्यप ने शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। निगम अधिकारियों को कहा कि खुदाई से पहले जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को बताते हुए अनुमति ली जाए। इसके बाद ही खुदाई संबंधी काम शुरू किया जाए। खुदाई से पहले प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई की सूचना भी दें ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यह बात संकट प्रबंधन समिति की बैठक में कही।

शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 80 लोगों को ही आमंत्रित किया था। सीमित लोगों की मौजूदगी में ही विवाह समारोह होना चाहिए। उन्होंने 24 घंटे में कोविड की जांच रिपोर्ट देने की बात कही। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तर्ज पर कार्रवाई की जाना चाहिए। सांसद सुधीर गुप्ता, कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, एसपी गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत मीनाक्षीसिंह, एडीएम जमुना भिडे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत मौजूद थे।

बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखें

जावरा एसडीएम ने बताया कि चेहल्लुम क्षेत्र में होली पर होने वाले कार्यक्रम में ज्यादा संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने का कहा। उचित कार्रवाई करने की बात भी कही।

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मिल रहा भरपूर सहयोग

स्वदेश

रतलाम ● स्वदेश समाचार

रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 41 व 44 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है । वहीं स्व सहायता समूह की रेग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। नगर के वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत गुरुवार से वार्ड क्रमांक 01 व 29 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जीरो वेस्ट वार्ड 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 41 व 44 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहुचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रेग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटनी कर एकत्रित किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रेग पिकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रेग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लोव्स, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

उज्जैन, रतलाम में रात 10 बजे बंद होंगे बाजार

समीक्षा बैठक ● मुख्यमंत्री चौहान ने दिए निर्देश, महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर लगाई रोक

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के बाद उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में भी रात दस बजे बाजार बंद होंगे। यहां अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया गया है। ग्वालियर व्यापार मेले की अवधि पर जिला आपदा प्रबंधन समूह फैसला लेगा। गुरुवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया।

बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच भोपाल, इंदौर सहित अन्य जिलों में तय लक्ष्य से कम हो रही है। अभी संक्रमण की जो स्थिति है, उसमें वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। महाराष्ट्र से लगे हुए जिलों में आवाजाही को रोकने के लिए यात्री बसों पर प्रतिबंध के साथ ही अन्य वाहनों की सघन जांच की जाए। मास्क और शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

प्रदेश : 11वें दिन भी बढ़े कोरोना मरीज, 917 संक्रमित मिले

प्रदेश में मरीजों की संख्या पिछले 11 दिन से लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को कोरोना के 917 नए मरीज मिले हैं। इनमें भोपाल के 184 मरीज शामिल हैं। 26 दिसंबर को पूरे प्रदेश में 1006 मरीज मिले थे। इसके बाद मरीजों की संख्या 876 या इससे कम रही है। यानी 82 दिन बाद मरीजों की संख्या इससे ऊपर पहुंची है।

मंदसौर के सम्राट मार्केट स्थित सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। • नईदुनिया

उज्जैन में पांच दिन में दूसरी मौत, 26 नए मरीज मिले

उज्जैन (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में गुरुवार को 26 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, वहीं 50 साल के व्यक्ति की मौत भी हुई। मरीज को माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया गया था। इससे पहले 14 मार्च को भी 58 वर्षीय व्यक्ति की माधवनगर अस्पताल में मौत हुई थी। जिले में अब तक 105 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। मार्च के 18 दिनों में 361 नए केस सामने आ चुके हैं। महू तहसील में गुरुवार को 18 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाकों के मरीज भी शामिल हैं। संक्रमण रोकने के लिए गुरुवार को प्रशासन ने सख्ती की। दो दुकानें और एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया।

जिला	नए मरीज	सक्रिय
रतलाम	39	222
मंदसौर	19	84
नीमच	17	64
देवास	9	35

सावधान... टीकाकरण के नाम पर आनलाइन ठगी

मोहम्मद रफीक • भोपाल

सावधान, देशभर में चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण अभियान को आनलाइन ठगी करने वालों ने नए औजार के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये ठग झारखंड के हैं। हाल ही में इन्होंने रीवा के एक आरक्षक को चूना लगा दिया। ठगों ने टीकाकरण के दूसरे डोज के नाम पर जानकारी मांगी और खाते से लगभग तीन लाख रुपये निकाल लिए गए। ठग स्क्रीन शेयर एप डाउनलोड करवाकर वारदात कर रहे हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इस तरह के संदेश कई लोगों तक पहुंचने की जानकारी पुलिस के संज्ञान में है।

दरअसल, ठग मोबाइल पर मैसेज या फोन कर कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने की बात करते हैं। इसी दौरान वे स्क्रीन शेयर एप डाउनलोड करवाते हैं। एप के माध्यम से दर्ज की जाने वाली जानकारी लेने के बाद वे झांसा देते हैं कि दस रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस प्रक्रिया के दौरान स्क्रीन शेयर एप चालू रहने से ठग बैंक से लेनदेन की जानकारी जुटा लेते हैं और राशि निकाल लेते हैं। मप्र में इस प्रकार की ठगी का एक ही केस दर्ज हुआ है, लेकिन ऐसे फोन कई लोगों तक आने की सूचना साइबर पुलिस के पास है। रीवा की नौवीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक शत्रुघ्न पटेल के साथ ठगी के बाद पुलिस मुख्यालय ने दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

नए मामलों में फैलाते हैं भ्रम

सूत्रों का कहना है कि इस प्रकार की ठगी का पूरा नेटवर्क झारखंड से चल रहा है। ये नए मामलों को लेकर लोगों को भ्रमित करते हैं। अभी कोरोना टीकाकरण के बारे में जानकारी देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले स्वरोजगार को लेकर भी ठगी के मामले सामने आए थे।

> कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के नाम पर आरक्षक से ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी के लिए सलाह जारी की गई है। लोग भी अज्ञात लिंक पर जानकारी देने से बचें। – **अमित सिंह, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा (पुलिस मुख्यालय)**

बचाव के उपाय

- अज्ञात फोन से मिली सलाह पर स्क्रीन शेयर एप डाउनलोड न करें। इससे ठग पूरे मोबाइल की गतिविधि देखते रहते हैं।
- अनजान नंबरों से आ रहे फोन पर भरोसा कर व्यक्तिगत जानकारी न दें।
- कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार जिस एप का प्रचार कर रही है, उसी पर भरोसा करें।
- फोन या इंटरनेट मीडिया पर व्यक्तिगत सूचनाएं शेयर न करें।
- फोन पर बताए अनुसार किसी भी प्रकार का लेनदेन न करें।

(साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी के अनुसार)

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–प्रसारण–––पृष्ठ 08 दिनांक 19/03/2021

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

प्रसारण

रतलाम। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है।

वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कीचड़ पाए जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है, वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से करें, यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है, तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका––पृष्ठ 17 दिनांक 19/03/2021

कलेक्टर ने जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्देश दिए

अब बिना मास्क वाले जाएंगे ओपन जेल, पहले कोविड टेस्ट होगा, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर छोड़ेंगे

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार दोपहर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर गोपालचंद डाड ने बताया कि यदि लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें ओपन जेल में भेजा जाएगा। साथ ही जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। इतना ही नहीं सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 से 48 घंटे के लिए बंद कर दी जाएगी।

बैठक में शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रूप से बंद करने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सैम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में दी जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अतः विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए।

100 से अधिक पर लेना होगी अनुमति

कलेक्टर ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था में पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। कलेक्टर ने कहा कि प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग की जाए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोग रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

बाहरी लोगों के आगमन को करें प्रतिबंधित

एसडीएम जावरा राहुल धोटे ने बताया कि जावरा में चहलुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। बैठक में महेन्द्र गादिया, गोविन्द काकानी, झमक भरगट, मनोज झालानी, डॉ. गौरव बोरीवाल, डॉ. प्रमोद प्रजापति, सुरेन्द्र चत्तर, सुरेन्द्र सुरेका, संजय पारख, अमित अग्रवाल, आशीष पालीवाल, राजेश दरश्व, जगदीश मंत्री, अजय भण्डारी, राजेश जैन आदि उपस्थित रहे।

सांसद ने दिए सुझाव

मंदसौर-जावरा सांसद डॉ. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रूप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। इनके अतिरिक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत मीनाक्षीसिंह, एडीएम जमुना भिडे, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. शशि गांधी, सीएमएचओ सहित अन्य लोग मौजूद थे।

पत्रिका

संबल योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर 5 को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम। संबल योजना के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने व सूचना दिए जाने के उपरान्त भी 17 मार्च बुधवार को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेखापाल सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया।

संबल योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर पर जगदीश पांचाल-लेखापाल, दिनेश राठौर व सुश्री दुर्गा शर्मा सहायक वर्ग-3, प्रदीप उपाध्याय व अंजनी प्रसाद मिश्रा सहायक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

प्रसारण

5 को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम● संबल योजना के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने व सूचना दिये जाने के उपरान्त भी 17 मार्च बुधवार को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेखापाल सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया। संबल योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर पर जगदीश पांचाल-लेखापाल, दिनेश राठौर व सुश्री दुर्गा शर्मा सहायक वर्ग-3, प्रदीप उपाध्याय व अंजनीप्रसाद मिश्रा सहायक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्वदेश

5 को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम. संबल योजना के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने व सूचना दिये जाने के बाद भी बुधवार को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेखापाल सहित 4 कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया। संबल योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर पर जगदीश पांचाल लेखापाल दिनेश राठौर व दुर्गा शर्मा सहायक वर्ग-3, प्रदीप उपाध्याय व अंजनी प्रसाद मिश्रा सहायक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

संबल में लापरवाही, पांच निगमकर्मियों को नोटिस

रतलाम । संबल योजना के कार्य में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतने व सूचना दिए के बावजूद बुधवार को बैठक में उपस्थित नहीं होने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने लेखापाल सहित चार कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें लेखा जगदीश पांचाल, दिनेश राठौर, दुर्गा शर्मा सहायक वर्ग-3, प्रदीप उपाध्याय, अंजनी प्रसाद मिश्रा सहायक राजस्व निरीक्षक शामिल है।

संबल योजना के अपात्र व्यक्ति कलेक्टर के यहां अपील करें-श्रम मंत्री

रतलाम । संबल योजना के अपात्र हितग्राही अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपील का यह प्रावधान शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को जारी पत्र में किया गया है। यह जानकारी विधानसभा में विधायक चैतन्य काश्यप के सवाल के जवाब में श्रम एवं खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत वर्ष 2018–19 में 01 अप्रैल 2018 से यह योजना प्रारंभ हुई थी । रतलाम नगर निगम क्षेत्र के 38,646 हितग्राही पंजीकृत किये गये थे। राज्य शासन द्वारा 20/09/2019 को दिये गये निर्देश पर चिन्हित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 23,375 अपात्र घोषित किये गये। शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को दिये गये नये निर्देश के अनुसार अपात्र चिन्हित व्यक्ति अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी पुनः सत्यापन के लिये जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के यहां अपील कर सकते हैं। स्वदेश

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका—पृष्ठ ..11.. दिनांक..19/03/..2021

नगर निगम की अनुकंपा में मनमर्जी का खेल

पत्रिका

एक्सपोज

मामला नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति का

रतलाम. नगर निगम ने हाल ही में तीन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आदेश जारी करते हुए दावा आपत्ति जारी का नोटिफिकेशन जारी किया है। तीन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति मिल रही है इसमें किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन 10 वर्षों से जो कर्मचारी सभी नियम में आकर अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे है उनकी कार्रवाई के नाम पर चक्कर कटवाए जा रहे है। अब यह सभी लोग नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे है।

नगर निगम राजेश पिता देवकरण बाबूलाल कल्याणे सफाई संरक्षक, वर्षा पति धीरज प्रकाश जोशी सफाई संरक्षक व रामसिंह पिता नन्नू सफाई संरक्षक के लिए अनुकंपा नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी करते हुए एक सप्ताह में दावा आपत्ति मांगी। निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ने वाले संगठनों का कहना है कि किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिले इसमें गलत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में जो गलत हो रहा है वो गलत है। इन तीन में से एक बहू है, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने का नियम है, लेकिन बहू को देने का नियम नहीं है। पत्रिका।

इनको है इंतजार

निगम में पिछले दस वर्षों से अमर पिता बसंत चौहान, सुनील पिता रामप्रसाद, राजाराम पिता मुंशी, नीलेश गोपाल, आनंद राजाराम, संजय नारायण पैमाल, आनंद राजाराम चावरे अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिए हुए है। कुछ के आवेदन पर जवाब तक नहीं दिए गए। कुछ पर कभी दो माह में तो कभी तीन माह में जवाब दे दिए जाते है कि कागज पूरे नहीं है, जरूरी कमी को पूरा किया जाए। बाद में फिर कमी निकालकर कागजी कार्रवाई में कमी बताई जा रही है।

नगर निगम में मनमर्जी चल रही है। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में समाज के कमजोर वर्ग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हमारी मांग है कि कलेक्टर जो कि नगर निगम के प्रशासक है वे सभी फाइलों को देखें, जिससे सभी को न्याय मिले। **- रामकल्याणे,** अध्यक्ष नगर निगम संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति

हमारी जानकारी के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति नियम अनुसार हो रही है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो लिखित में प्रस्तुत कर सकता है। **- एपीसिंह,** प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम

नगर निगम नियम अनुसार सभी की अनुकंपा नियुक्ति करेगा। प्राथमिकता के आधार पर स्थापना विभाग से जो आवेदन आ रहे है उनकी नियुक्ति की जा रही है। **- सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगि

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार प्रसारण ----पृष्ठ 13 दिनांक 19/03/2021

कलेक्टर डाड ने जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कहा

आयोजनों के लिए 100 से ज्यादा लोगों के लिए लेनी होगी अनुमति

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, एस डी एम जावरा राहुल धोटे, एस डी एम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कॉलेज डीन डॉ. शशि गांधी, सी एम एच ओ डॉ. प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। मंदसौर सांसद डॉ. सुधीर गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैंने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अतः विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए।

कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था मे पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रूपे में आयोजित किया जा सकेगा, जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आर टी पी सी आर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा।

आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बड़ौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आर टी पी सी आर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सी एम एच ओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगड़ती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए। खुदाई करवाने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई जाए, ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिले तथा किसी प्रकार की परेशानी न हो।

एस डी एम जावरा श्री धोटे ने बताया कि जावरा में चहल्लुम क्षेत्र में होली के समय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिक संख्या में लोगों के आने की संभावना होती है। कलेक्टर श्री डाड ने बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक एवं एस डी एम को निर्देशित किया कि मौका-मुआयना कर उचित कार्यवाही की जाए।

इस अवसर पर महेन्द्र गादिया, गोविन्द काकानी, झमक भरगट, मनोज झालानी, डॉ. गौरव बोरीवाल, डॉ. प्रमोद प्रजापति, सुरेन्द्र चत्तर, सुरेन्द्र सुरेका, संजय पारख, अमित अग्रवाल, आशीष पालीवाल, राजेश दरख, जगदीश मंत्री, अजय भण्डारी, राजेश जैन आदि उपस्थित रहे। प्रसारण

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से हो प्रतिबंध

रतलाम ● स्वदेश समाचार

गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहित व हैण्डल रहित पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिस्पोजल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है। नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये। श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

स्वदेश

आयुक्त ने कहा जागरुकता अभियान चलाए

शहर में पॉलिथीन व डिस्पोजल चरणबद्ध तरीके से होगा बंद

रतलाम. गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। शहर में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने के लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को सख्त अभियान चलाने को कहा है।

निगम आयुक्त झारिया ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है। आयुक्त झारिया ने कहा कि नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्हड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये। प्रिका

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार राज एक्सप्रेस पृष्ठ 15 दिनांक 19/03/2021

प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश

मास्क जीवन बचाने का साधन है, विधायक काश्यप, कलेक्टर डाड ने जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में निर्देश दिए

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

रतलाम जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चेतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षीसिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, मेडिकल कालेज डीन डॉ.शशि गांधी, सीएमएचओ डॉ.प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई।

मंदसौर सांसद डा. सुधीर गुप्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रुप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक चेतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रुप से बन्द किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सेम्पल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट झोन की तर्ज पर कार्यवाही

की जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं के परिवार में आयोजित विवाह समारोह का उदाहरण देते हुए कहा कि मैने स्वयं भी पारिवारिक समारोह में केवल 80 लोगों को आमंत्रित किया था। अतः विवाह समारोह आदि में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए।

कलेक्टर गोपालचन्द्र डाड ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक, विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था मे पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावना के कार्यक्रम को चलित उठावने के रुप में आयोजित किया जा सकेगा जिसमें आगन्तुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। तीन दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को आरटीपीसीआर की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर दो गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा।

ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। आगामी समय में रेलवे स्टेशन पर खासकर बड़ौदा एवं मुम्बई से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच और स्क्रीनिंग आवश्यक रुप से की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की सेम्पलिंग कराने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ को निर्देशित किया कि जिन लोगों की कोविड की जांच की जा रही है, ऐसे लोगों से लिखित सहमति ली जाए कि वे जांच रिपोर्ट आने तक होम आईसोलेशन में रहना सुनिश्चित करें।

विधायक श्री काश्यप ने शहर में बिगड़ती ट्राफिक व्यवस्था को लेकर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने नगर पालिक निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में खुदाई कार्य से पूर्व जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को अवगत करवाते हुए अनुमति ली जाए एवं इसके बाद ही खुदाई सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया जाए। खुदाई करवाने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संबंधित क्षेत्र में होने वाली खुदाई के बारे में सूचना प्रकाशित करवाई जाए ताकि लोगों को पूर्व सूचना मिले तथा किसी प्रकार की परेशानी न हो। २१७

पत्रिका

प्लास्टिक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान

प्लास्टिक पर नगर निगम की छापामार कार्रवाई, एक उद्योग पर ताला, दूसरे पर 10 हजार जुर्माना

पत्रिका सिटी हैपनिंग

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नगर निगम ने गुरुवार शाम को शहर के औद्योगिक क्षेत्र में 50 माइक्रॉन से कम की थैली के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए एक उद्योग पर ताला लगा दिया तो दूसरे के यहां 10 क्विंटल प्लास्टिक जब्त करते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया। पहली कार्रवाई श्रीराम पॉलिन पर की गई, जबकि न्यू सांईलीला उद्योग संचालक नगर निगम के दल को देखकर ताला लगाकर भाग गया। बाद में यहां नगर निगम ने उद्योग को सील कर दिया।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने फोन पर बताया कि शासन से निर्देश मिलने के बाद 50 माइक्रॉन से कम की गुणवत्ता वाली प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद अभियान चलाकर अलग-अलग मोहल्लों में जांच अभियान चलाकर कम माइक्रॉन वाली प्लास्टिक को जब्त किया जा रहा है। गुरुवार को भी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने सुबह 18 किलो प्लास्टिक को जब्त किया था। इसके बाद सूचना मिली की औद्योगिक क्षेत्र में दो उद्योग में इसका निर्माण हो रहा है। इसके बाद प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह को दल बनाकर दबिश देने को कहा गया। शाम को प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सिंह झोन प्रभारी व अन्य दलबल को लेकर पहुंचे। सबसे पहली कार्रवाई श्रीराम पॉलिन में की गई। यहां पर एक हजार किलो याने की 10 क्विंटल प्लास्टिक थैली जब्त की गई। इस दौरान उद्योग संचालक मनीष करमचंदानी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

ताला लगाकर भाग गए

नगर निगम के दल को सूचना मिली थी कि एक अन्य उद्योग क्षेत्र न्यू सांईलीला में भी 50 माईक्रॉन से कम की प्लास्टिक थैली का निर्माण तैजी से हो रहा है व यहीं से बाजार में थैली जा रही है। इस सूचना के बाद नगर निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सिंह के दल को नगर निगम आयुक्त झारिया ने जाने को बोला। यहां पर दल के पहुंचने की सूचना मिलते ही उद्योग संचालक ताला लगाकर भाग गया। इसके बाद निगम के दल ने पहले तो मोबाइल लगाया। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो दल ने अपना ताला जड़कर उद्योग को सील कर दिया।

यहां पर कार्रवाई की

गंदगी करने व 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन उपयोग करने पर राकेश ज्यूस गीता मंदिर रोड पर 2500, परीणित जैन धानमण्डी पर 1500, हरीष अग्रवाल शहर सराय पर 500, मुन्नाभाई, राजकमल, हीराबाई, राजूबाई नौलाईपुरा, अब्दुल रज्जाक कोर्ट तिराहा पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर 18 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाडे, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई।

नगर निगम का 50 माईक्रॉन से कम प्लास्टिक निर्माण व बिक्री के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आमजन से अपील है इस संबंध में निर्माण या बिक्री की सूचना मिलती है तो हमको 9644000400 नंबर पर सूचना दें।

– **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम